

--:आदेश:--

श्रीमती कलावती निनामा, नर्सिंग अधिकारी महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, बांसवाडा को प्रसूता से अवैध वसूली के संबंध में की गई जांच में दोषी पाया गया है। अतः श्रीमती कलावती निनामा, नर्सिंग अधिकारी को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतिकारत किया जाता है। आदेशों की प्रतीक्षा में इनका मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर रहेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./32468/2025/76 दिनांक: As Per Signature

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा।
7. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित गोपनीय अनुभाग, मुख्यालय को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित कार्मिका को द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ई-मेल करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.02.26 15:55:08 IST
Reason: Approved